रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 2014/फाल्गुन 21, 1935
No. 128] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 2014/PHALGUNA 21, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2014

सं. 12/2014-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 181(अ).—जहां कि, नामित प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 15/28/2013-डीजीएडी, तारीख 18 फरवरी, 2014, जिसे 18 फरवरी, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड (1) में प्रकाशित किया गया था, के तहत चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाइलैंड और श्रीलंका में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "6 एमएम या इससे अधिक की मोटाई वाले प्लेन डेन्सिटी फाइबर बोर्ड " पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 116/2009-सीमा शुल्क, तारीख 8 अक्तूबर, 2009, जिसे सा.का.नि. 734(अ), तारीख के तहत 8 अक्तूबर, 2009 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशित किया गया था के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में , सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5), सीमा शुल्क टैरिफ (प्रतिपाटिन वस्तुओं की पहचान, आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित, की दृष्टि से समीक्षा शुरू की है और उक्त टैरिफ अधिनियम, की धारा 9क की उपधारा (5) की दृष्टि से इस प्रतिपाटन शुल्क को एक वर्ष की अवधि तक बढाने का अनुरोध किया है;

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5), सीमा शुल्क टैरिफ (प्रतिपाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण/नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 116/2009-सीमा शुल्क,

तारीख 8 अक्तूबर, 2009 जिसे सा.का.नि. 734(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) के द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"3. उपर्युक्त निहित के बावजूद, इस अधिसूचना 26 फरवरी, 2015 जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तक प्रभावी रहेगी ।"

[फा. सं. 354/39/2009-टीआरयू (भाग-I)]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, 12th March, 2014

No. 12/2014-Customs (ADD)

G.S.R. 181(E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No. 15/28/2013-DGAD dated the 18th February 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 18th February 2014, has initiated review, in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on 'Plain Medium Density Fibre Board of thickness 6 mm and above', originating in, or exported from the People's Republic of China, Malaysia, Thailand and Sri Lanka, imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 116/2009-Customs, dated the 8th October, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 734(E), dated the 8th October, 2009, and has requested for extension of anti-dumping duty for a further period of one year, in terms of sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 116/2009-Customs, dated the 8th October, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 734(E), dated the 8th October, 2009, namely:—

In the said notification, after paragraph 2, the following shall be inserted, namely:—

"3. Notwithstanding anything contained herein above, this notification shall remain in force up to and inclusive of the 26th day of February, 2015".

[F.No.354/39/2009-TRU (Pt-I)]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Co ntroller of Publications, Delhi-110054.